संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 2019 / 1018 भोपाल, दिनांक 10 / 06 / 2019

<u>विज्ञप्ति</u>

31 मार्च 2019 को प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से इंटर्नशीप पूर्ण किए बंधपत्र चिकित्सकों की अनिवार्य ग्रामीण सेवा अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदस्थापना हेतु, विभागीय वेबसाईट **www.health.mp.gov.in** पर दिनांक 12, 13, 14 जून 2019 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल मे काउंसलिंग हेतु सूचना दी गई है।

चिकित्सकों को भोपाल आगमन हेतु पर्याप्त समय प्रदान किए जाने की दृष्टि से उक्त काउंसलिंग तिथि में संशोधन किया जाकर तिथि क्रमशः 20, 21 एवं 22 जून 2019 को निर्धारित की जाती है, शेष शर्ते यथावत रहेंगी। बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों को बंधपत्र मानदेय रूपये 55000 / – (रूपये पचपन हजार) का भुगतान किया जावेगा। महिला बंधपत्र चिकित्सकों को मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी परंतु अवकाश अवधि की समान अवधि हेतु पुनः कार्य संपादन करना होगा तथा नियमानुसार उक्त अवधि हेतु भी संबंधित महिला बंधपत्र चिकित्सक को मानदेय / पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश